आर्डर शीट

अपील संख्या 711 /2025 अनवान सरदारसिंह बनाम पारससिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.25	वकील अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 की ओर से केवियटर अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 05/2020 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि अपीलाधीन आदेश में उल्लेख अनुसार प्रथम दृष्टया पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद सिविल प्रकृति का है। द्वितियतः इस मामले में तहसीलदार जालोर द्वारा अन्तर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट के तहत नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 32/2016 में पारित निर्णय दिनांक 4.9.19 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त नामान्तरकरण प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अनवान निगरानी/एल.आर./2625/2017 में पारित निर्णय दिनांक 3.6.19 द्वारा इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 30.3.17 को निरस्त कर, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालोर के निर्णय दिनांक 3.10.16 के निर्णयानुसार ग्राम बाकरा का नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 21.06.1961 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक सोना पुत्र हबताजी के जायद वारिसानों की जांच कर पुनः नामान्तरकरण पारित करने के निर्देश दिये गये है। जिसकी पालना में तहसीलदार जालोर	

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

711/2025 सरदार सिंह बनाम पारससिंह

द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में, पारित निर्णय दिनांक 4.9.19 द्वारा मण्डल द्वारा निरस्त किए गये ग्राम बाकरा के ना0क0सं0 178 को बहाल कर यथावत दिया गया। जिसके विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर में प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 05/2020 में पारित निर्णय दिनांक 16.7.25 में यह विवेचित किया गया कि न्यायालय तहसीलदार जालोर के निर्णय दिनांक 4.9.19 के द्वारा रेकर्डेड साक्ष्य के अभाव में छगनाजी को अपने जैविक पिता सोनाजी की सम्पति में उत्पन्न हकों को समाप्त कर दिया गया, अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार जालोर को मृतक सोना पुत्र हब्ताजी के समस्त जायज वारिसानों की विधिवत जांच कर नियमानुसार म्यूटेशन पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। अति0 जिला कलेक्टर जालोर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि इस मामलें में न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 30.3.17 को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

अतः प्रस्तुत अपील औचित्यहीन प्रतीत होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलार्थी वांछित अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर